किसी मनमौजी की कल्पना जैसा, चित्र में नज़र आ रहा यह पैलेस एक फ्रैंच पोस्टमैन के उत्साह व जुनून का परिणाम है। दूर से देखने पर यह अंगकोर वाट मंदिर तथा बार्सिलोना के विख्यात ला सगरादा फमिलिया का मिश्रण लगता है। करीब से देखने पर विख्यात फ्रैंच पेंटर ऑस्कर क्लॉड मॉने की पेंटिंग जैसा नज़र आता है, जिसमें, जटिल ब्रश स्ट्रोक्स की जगह ली है, पैलेस की दीवारों पर जड़े छोटे कंकड़ और पत्थरों ने। छब्बीस मीटर लंबे और 10 मीटर ऊँचे इस पैलेस के निर्माण की एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि, सन् 1879 में पोस्टमैन फर्डिनंड शेवाल डाक बांटते समय एक पत्थर से टकरा गया, उठाकर देखने पर उसके विचित्र आकार से इतना मोहित हुआ कि, यह पत्थर ही महल बनाने की प्रेरणा बन गया। अथक परिश्रम व लगन के बाद लगभग 33 वर्ष में, ''पाले इडिआल'' नाम का यह पैलेस बन कर तैयार हुआ। पैलेस में गॉथिक शैली के बुर्ज, ऊँचे मेहराब व खूबसूरत मूर्तियां हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब कल्पना के घोड़े बेलगाम दौड़ते हों तो क्या नहीं हो सकता। शेवाल ने इसके निर्माण में हर उस चीज का इस्तेमाल किया जो उसे अच्छी लगी या कहीं पड़ी मिल गई, रंग-बिरंगे पत्थरों से लेकर सी शैल, सब कुछ।

सभी वयस्कों को करोना की बूस्टर डोज़ भी नि:शुल्क लगेगी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

- **15 जुलाई से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज़ निशुल्क दी जाएगी। यह अभियान 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक चलेगा।**
- **केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, इससे देश में 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग की 80 करोड़ से अधिक आबादी को लाभ होगा।**

नई दिल्ली 13 जुलाई (वार्ता)। केन्द्र सरकार ने करोना महामारी से निपटने के प्रयास तेज करते हुए देश में सभी वयस्क नागरिकों को कोविड टीके की 'बूस्टर डोज' नि:शुल्क देने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि देश में आजादी के 75 वें वर्ष का महोत्सव चल रहा है। इस अवसर पर यह फैसला किया गया है कि 15 जुलाई से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड टीके की बूस्टर डोज निशुल्क दी जाएगी। यह अभियान 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक चलेगा।

उन्होंने बताया कि, इससे देश में 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग की 80 करोड़ से अधिक आबादी को लाभ होगा। गौरतलब है कि, करोना योद्धाओं और वरिष्ठ नागरिकों को पहले से कोविड का बूस्टर वैक्सीन निशुल्क दिया जा रहा है। पात्र लाभार्थियों को कोविड का बूस्टर वैक्सीन पिछले टीके के छह माह के अंतराल पर दिया जा सकता है। बूस्टर डोज सभी सरकारी कोविड वैक्सीन केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध होगी।

इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि, आज सुबह सात बजे तक 199 करोड़ 12 लाख 79 हजार 10 टीके दिये जा चुके हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे कोविड महामारी के विरुद्ध चल रहे संघर्ष को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, मैं सभी पात्र लोगों से जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लेने का अनुरोध करता हूं।

गौरतलब है कि, वर्तमान में देश में करोना के पिछले पांच-छ: दिनों से रोजाना 17 से 18 हजार नये मामले आ रहे हैं तथा फिलहाल स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में दिखाई दे रही है। लेकिन आशंका है कि, आगामी सर्दियों में देश में करोना की चौथी लहर आ सकती है। इससे बचाव के तौर पर केन्द्र सरकार ने करोना वैक्सीन की बूस्टर डोज़ निशुल्क देने का फैसला किया है।

हिजाब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अगले सप्ताह कोर्ट सुनवाई करेगा।**

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि, हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर वह अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम इस मामले को अगले सप्ताह की सुनवाई की सूची में डालते हैं। इससे पहले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शीर्ष न्यायालय की इस पीठ से कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गयीं याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम इसे अगले सप्ताह की सूची में डाल रहे हैं, यह मामला सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

भूषण ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक हटाने से इन्कार करने के खिलाफ दाखिल अपीलों का इस मौके पर उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, यह मामला काफी पहले दायर किया गया था। छात्राओं की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। भूषण ने इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय से इस मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है।

'मेरे खिलाफ न्यूज़ चैनल व भाजपा झूठ फैला रहे हैं'

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सफाई दी कि, वे न तो कभी पाकिस्तानी पत्रकार से मिले हैं और ना ही भारत बुलाया

नई दिल्ली, 13 जुलाई। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा से मिलने के दावे पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकार को न तो उन्होंने बुलाया और न ही कभी मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया के एक धड़े में झूठ फैलाया जा रहा है और इसमें भाजपा के प्रवक्ता भी शामिल हैं। अंसारी ने जारी बयान में कहा है कि बतौर भारत के उपराष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को बुलाने का फैसला उस समय की सरकार का था। उन्होंने लिखा है कि सरकार की सलाह पर विदेश मंत्रालय के जरिए मेहमानों को बुलाया जाता है।

गौरतलब है कि भाजपा ने आरोप लगाया था कि अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को अपने कार्यकाल में 5 बार न्योता देकर भारत बुलाया था और उनके साथ खुफिया जानकारी साझा की थी। अंसारी ने बयान जारी कर कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने बतौर उपराष्ट्रपति रहते हुए पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को बुलाया। मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आतंकवाद पर एक कॉन्फ्रेंस में और ईरान में भारत का राजूदत रहने के दौरान मिला था।

उन्होंने कहा कि ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विश्वासघात किया। लेकिन यहां मैं ये साफ करना चाहता हूं कि न तो मैं मिर्जा से मिला हूं न ही बुलाया हूं। अब अंसारी ने भाजपा के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि विदेशी मेहमानों को उपराष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में आमंत्रण सरकार की सलाह के बाद दिया जाता है। विदेशी मेहमानों को विदेश मंत्रालय के जरिए बुलाया जाता है। अंसारी ने अपने बयान में कहा है कि मैंने 11 दिसंबर 2010 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेरेरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स का उद्घाटन किया था। आम तौर पर ऐसे कॉन्फ्रेंस में मेहमानों की लिस्ट आयोजक तैयार करते हैं। मैंने कभी मिर्जा को हैं बुलाया और न ही उससे मिला।

अंसारी ने कहा कि ईरान में बतौर भारत के राजदूत का कामकाज सरकार की जानकारी में रहा है। देश की सुरक्षा के लेकर में प्रतिबद्ध हूं और इसपर बयान देने से हमेशा खुद को दूर रखता हूं। भारत सरकार के पास सारी जानकारियां है और वही केवल सच बता सकती है। ईरान में मेरा कार्यकाल रेकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद मुझे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी सदस्य बनाया गया था। मेरे काम को देश और दुनिया में सराहा गया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नुसरत मिर्जा पाकिस्तानी पत्रकार हैं और उन्होंने ये खुलासा किया है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उन्हें 2005-2011 के बीच में पांच बार न्योता देकर भारत बुलाते हैं।

- **हामिद अंसारी ने जारी बयान में कहा है कि, बतौर भारत के उपराष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को बुलाने का फैसला उस समय की सरकार का था। उन्होंने लिखा है कि, सरकार की सलाह पर विदेश मंत्रालय के जरिए मेहमानों को बुलाया जाता है।**
- **ईरान में भारत का राजदूत रहने के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा से मुलाकात करने के आरोपों को भी हामिद अंसारी ने साफ तौर पर नकार दिया है।**

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती

- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया कि 'सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई करती थीं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती'।**

मुबंई 13 जुलाई (वार्ता)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के आरोप पत्र में बुधवार को यहां कहा गया है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की आपूर्ति करती थी।

एनसीबी ने ड्रग मामले में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर विशेष अदालत को बताया कि रिया को अपने भाई शोविक सहित सह-आरोपियों से गांजे की कई डिलीवरी मिल रही थी जो उन्होंने राजपूत को सौंप दी थी। केंद्रीय ड्रग रोधी एजेंसी ने पिछले महीने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर अदालत को यह जानकारी दी।

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को आरोपों से घेरा भाजपा ने

भाजपा ने कहा कि, हामिद अंसारी ने आई.एस.आई के लिए काम किया था तथा पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार भारत बुलाकर खुफिया जानकारियां लीक करवाई थीं

- **दरअसल, पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार नुसरत मिर्जा ने अपने एक यूट्यूब इंटरव्यू में हाल ही में दावा किया है कि, वह 2005 से 2011 के बीच कई बार भारत आए और सूचनाएं इकट्ठी कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचाई हैं।**

नई दिल्ली, 13 जुलाई। यूनाइटेड प्रोग्रैसिव अलायंस (यू.पी.ए.) के शासनकाल में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के निमंत्रण पर भारत आए पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के सनसनीखेज दावे के बाद भारत में इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए कई सवाल पूछे हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा ना सिर्फ कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि आतंकवाद पर उसकी क्या नीति थी बल्कि यह भी बताए कि क्यों पूर्व उप राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी पत्रकार को पांच बार आमंत्रित किया था।

दरअसल, पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार नुसरत मिर्जा ने अपने एक यूट्यूब इंटरव्यू में हाल ही में दावा किया है कि वह 2005 से 2011 के बीच कई बार भारत आए और सूचनाएं इकट्ठी कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचाई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा उन्हें करीब पांच बार भारत आमंत्रित किया गया था। उन्हें आमतौर पर अनुमति से अधिक शहरों की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

इस बयान के बाद अब भाजपा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि आतंकवाद का मुकाबला करने की उसकी नीति क्या थी। क्यों पाकिस्तानी पत्रकार को पांच बार आमंत्रित किया गया था।

मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि हमें यह हैं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें वह साझा हैं कर सकते क्योंकि वे देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। भाटिया ने कहा कि ऐसा एक बार हैं, बल्कि पांच बार हुआ है। इस जानकारी का इस्तेमाल आईएसआई ने भारत को कमजोर करने के लिए भारत के खिलाफ किया गया। भारत आतंकवाद के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रहा है और कांग्रेस सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया जिसे हमारे देश और उसके लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की गई जानकारी दी गई थी।

'शरद पवार ने दो बार शिवसेना को तोड़ने की गहरी साजिश रची थी'

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट कहा, आज से पहले जब कभी भी शिवसेना का बंटवारा हुआ उसमें शरद पवार का ही हाथ था

- **एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने शिवसेना में नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि,इन दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था।**

मुंबई, 13 जुलाई। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब एकनाथ शिंदे गुट ने नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) के चीफ शरद पवार पर सीधा हमला बोला है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि आज से पहले जब भी शिवसेना क बंटवारा हुआ था, उसमें शरद पवार का ही हाथ था। उन्होंने नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था। उन्होंने कहा कि आज शरद पवार की ओर से बालासाहेब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए कि बालासाहेब ठाकरे को जिंदा रहते हुए क्यों प्रताड़ित किया गया। उन्होंने एक मराठी चैनल से बातचीत में शरद पवार की ओर से शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अकसर शिवसेना के विभाजन के बारे में निजी तौर पर बात की थी। पवार ने नारायण राणे को शिवसेना से बाहर निकालने में मदद की थी। छगन भुजबल को खुद शरद पवार ने शिवसेना से बाहर किया था। इसके अलावा राज ठाकरे को भी उनका समर्थन हासिल था।

ई.डी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आर्ट.) एन.वी.रमना., जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की एक बैंच ने एक वकील के इस निवेदन पर गौर किया कि उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश के जरिए ई.डी. के निदेशक के सेवाकाल में किए गए एक्सटैंशन के खिलाफ याचिका दायर की थी। ये अध्यादेश ई.डी. और सी.बी.आई. प्रमुखों को पांच वर्ष तक पद पर बने रहने देने के लिए जारी किए गए थे।

गत वर्ष 8 सितम्बर को कोर्ट ने मिश्रा को पूर्व में दिए गए एक्सटैंशन में केन्द्र की पावर को बनाए रखा था। मिश्रा वर्ष 1984 बैंच के इनकम टैक्स कॉडर के भारतीय राजस्व अधिकारी हैं।

'जो दिखता है...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सवाल खड़े किये थे। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। उनकी यह यात्रा भी राजनैतिक रूप से एक महत्वपूर्ण अवधि में हुई थी, क्योंकि उस समय राज्य सभा चुनाव होने थे और इन चुनावों में पार्टी अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिये संघर्ष कर रही थी। राहुल गांधी के बारे में चुनौतियों को स्वीकार न करने से संबंधित और भी संकेत मिलते रहे हैं। अगर किसी विगत अनुभव को संकेत के रूप में लिया जा सकता है, तो जब भी कोई मुद्दा होता है, राहुल भाजपा के खिलाफ सिर्फ ट्वीट करते दिखाई देते हैं। वे विरोध-प्रदर्शन करने वाली सार्वजनिक रैलियों में या धरनों में दिखाई नहीं देते। उन्हे कांग्रेस का ''इलुसिव फेस'' अर्थात मोर्चे पर आने से बचने वाला चेहरा बने रहना पसंद है।

जैसी कहावत है- ''जो दिखता है, वो बिकता है।'' अगर राहुल गांधी पार्टी के एक आश्वस्तिपूर्ण चेहरे के रूप में दिखाई नहीं देते, एक ऐसे नेता के रूप में दिखाई नहीं देते, जो उस जनता के नजदीक हो, जिसका समर्थन पार्टी को चाहिये, तो ऐसी स्थिति कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि ऐसी पार्टी कहाँ जायेगी। राहुल तथा कांग्रेस के बचे-खुचे नेताओं के पास 2024 का एक और अवसर है। अगर वे अपनी पार्टी की नैया को संतुलित एवं निरन्तर गतिमान नहीं रखते, तो नतीजा सुस्पष्ट एवं सर्वविदित है।

नीतीश कुमार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करेंगे। बिहार पिछले दशकों से भाजपा की पकड़ से पूर्णतया दूर रहा हैं। विधानसभा में अपने सदस्यों की बड़ी संख्या और क्षेत्रीय नेताओं नीतीश कुमार तथा लालू यादव के अपने-अपने राजनीतिक करियर को पूरा कर लेने के साथ ही भाजपा ने अब अपनी संभावनाओं की परिकल्पना करना शुरू कर दिया हैं। भाजपा की राय में आर.जे.डी. एक उत्तराधिकार संघर्ष के कारण टूटने की कगार पर हैं और लालू प्रसाद अपने खराब स्वास्थ्य के कारण असमक्ष हो चुके हैं। इसलिए भाजपा ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जातियों के नेताओं को चिन्हित कर और उन्हें जिम्मेदारियां को मजबूत करना शुरू कर दिया है।

''रिन्युएबल एनर्जी'' कंपनियों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिछले 3 साल के बिजली उत्पादन के लिए भुगतान देने को तैयार है वहीं विंड मिल फार्म से बिजली उत्पादन कर रही कंपनियों को 2.44 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करने को तैया है।

गौरफरमाने योग्य है कि 2019 में राज्य के विद्युत नियामक आयोग ने इन सभी कंपनियों को 3.14 रुपये प्रति यूनिट की दर प्रस्तावित करी थी, जिसे इन सभी कंपनियों ने ठुकरा दिया था। परंतु तीन साल से बिजली उत्पादन के लिए इन कंपनियों को एक रुपये का भी भुगतान नहीं हुआ है इससे कई कंपनियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की तरफ से महाअधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार 2.24 रुपये और 2.44 रुपये की दर पर भुगतान करेगी परंतु शर्त यह है कि इन सभी कंपनियों को ''रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट'' नहीं दिया जाएगा। महाधिवक्ता ने अदालत को आगे बताया कि हर वर्ष राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की नीति अनुसार ''रिन्यूएबल एनर्जी परचेज़ ऑब्लीगेशन'' (आर.पी.ओ.), यानि प्रदेश में निर्मित ऊर्जा का तय हिस्सा अक्षय उर्जा से पूरा करना होता है, वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को प्रदेश में निर्मित उर्जा का 21.66 प्रतिशत अक्षय उर्जा पर खर्च करना है।

महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अगर राज्य सरकार आर.ई.सी. स्कीम के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को बिजली उत्पादन के लिए भुगतान करती है तो वह राज्य सरकार के भुगतान ''रिन्युएबल एनर्जी परचेज़ ऑब्लीगेशन'' में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए राज्य सरकार इन कंपनियों को ''रिन्युएबल एनर्जी सर्टिफिकेट'' नहीं देगी। यहां उल्लेखनीय है कि आर.ई.सी. सर्टिफिकेट मार्केट में ''ट्रैडएबल कमोडिटी'' है, जिसे बेचने पर इन कंपनियों को प्रति युनिट बिजली उत्पादन के लिए एक रुपये का फायदा होता।

याचिकाकर्ता कंपनियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुधांशु कासलीवाल पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को कहा कि उनकी मुवक्किल कंपनियों को तीन साल से भारी नुकसान हुआ है, इसलिए वह राज्य सरकार से अदालत के अंतरिम आदेश के तौर पर समझौता वार्ता से तय करी गई दर पर भुगतान लेने को तैयार है। दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को कहा कि अदालत को पूर्वाग्रह और बिना किसी शर्त के अंतरिम आदेश पारित करने चाहिए और 2011-12 में तय नीति के अनुसार ही सभी कंपनियों को ''रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट'' दिया जाये। दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत से आगे कहा कि क्योंकि इस मामले समझौता नहीं हुआ है इस मामले को ''फाईनल हियरिंग'' के लिए सूचीबद्ध किया जाये।

अब अदालत इस मामले को पांच अगस्त से अंतिम बहस के लिए सुनेगी और अपना फैसला सुनाएगी।

राम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नजदीक स्थित मन्नार द्वीप तक फैली हुई है।

डॉ. स्वामी ने ट्वीट किया: ''आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राम सेतु को प्राचीन स्मारक का दर्जा दिये जाने से संबंधित मेरी याचिका की सुनवाई के लिये सहमत हो गये। याचिका 26 जुलाई के लिये सूचीबद्ध कर ली गई। जब मैंने सेतु प्रोजैक्ट प्रकरण को लिया था तो उसके बाद, मोदी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे मुझे राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किये जाने से रोकने के लिये मुझे हतोतसाहित करें।''

सी.जे.आई. एन.वी. रमना तथा न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं हिमा कोहली की बनी बैंच ने स्वामी के इस अनुरोध पर ध्यान दिया कि यह एक छोटा किन्तु आवश्यक प्रकरण है तथा इसे सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाना जरूरी है।

सी.जे.आई. रमना ने मज़ाक में स्वामी से कहा कि इसकी सुनवाई मेरी सेवानिवृत्ति के बाद हो जायेगी।

स्वामी ने कहा कि वे इस बाद की पहली सीढ़ी को तो जीत चुके हैं जिसमें केन्द्र ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित केन्द्रीय मंत्री ने 217 में उनकी माँग पर विचार करने के लिये एक मीटिंग बुलाई थी लेकिन मीटिंग के बाद कुछ नहीं हुआ।

भाजपा नेता ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा अपनी पी.आई.एल. में उठाया था, जो सेतुमुद्रम शिप चैनल प्रोजैक्ट, जिसकी शुरुआत यू.पी.ए.-1 सरकार ने की थी, के खिलाफ था।

श्रीलंका अकाल की ओर ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। अल्पकालीन तथा तात्कालिक जरूरत इस बात की है कि एक अन्तरिम सरकार बने तथा वह आई.एम.एम.एफ. से कर्ज के लिये बातचीत करे जिससे मौजूदा अभाव एवं संकट से उबरा जा सके।

कुछ अर्थशास्त्रियों तथा देश की जमीनी स्तर से जुड़े विशेषज्ञों की आंशका के अनुसार, अगर ऐसा कुछ तुरन्त ही अपातकालीन आधार पर नहीं किया गया तो श्रीलंका को आगामी तीन-चार महीनों में घोर अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ सकता हैं।

अर्थशास्त्री एवं युनिवार्सिटी के प्रोफेसर अलीलान कादिरगमार, जिन्होंने हाल ही के विरोध प्रदर्शनों में स्वयं भाग लिया, महसूस करते हैं कि वर्तमान संकट तो आना ही था। यह मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से भारी धन उधार लेने के कारण शुरू हुआ। अब यह मानते हैं कि श्रीलंका कर्ज के जाल में फंस गया है। देश अपने ऋण चुकाने की औपचारिकताओं को पूरा करने में दो माह पूर्व ही विफल हो गया था।

महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि देश की त्वरित जरूरतों को पूरा करने के लिए आई.एफ. के साथ कुछ ब्रिज लोन्स लेने के लिए क्या बातचीत चल रही हैं? पहला काम तो लोगों को राहत प्रदान करने और खाद्यान्न सहित जरूरी वस्तुओं का आयात करने के लिए कुछ ऋण लेने का होना चाहिए।

आई.एम.एफ. के साथ वार्ताओं में कठिनाई यही है कि जनता अब अधिक संयम नहीं बरत सकती, यद्यपि आई.एम.एफ. के ऋण पूर्ण संयम की शर्त रखते हैं। कादिरगमार ने आशंका जताई कि अगले तीन या चार महीनों में देश खाद्यान्न की व्यापक कमी का सामना कर सकता हैं।

लेकिन इसे बदलाव के एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। पहला बदलाव सरकार की संरचना में परिवर्तन तथा वित्तीय व बेलगाम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियम कानूनों में सुधार करना होगा। इसके अलावा विशालकाय इन्फ्राक्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स का पुनरावलोकन करना होगा ताकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके।

विशेषज्ञ महसूस करते हैं कि किसी स्पष्ट राजनीतिक समाधान के अभाव में श्रीलंका में अगले कुछ वर्षों तक राजनीतिक अस्थिरता रह सकती हैं।

बालिका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के दौरान वह अपनी नानी से कुछ आगे चलने लगी। थोड़ी देर में बच्ची और उसकी नानी के बीच फासला बढ़ गया। इसी दौरान आरोपी बब्बू मोटरसाइकिल लेकर आया और उसे घर छोड़ने की बात कहने लगा। इस पर वह उसकी बातों में आ गई और मोटरसाइकिल पर बैठ गई।

आरोपी उसे स्कूल के पास ही एक खंडहरनुमा बिल्डिंग में ले गया और उससे रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी सहमी बच्ची थोड़ी देर बाद घर पहुंची। घर पर नानी ने उससे पूछताछ की तो उसने अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908